राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक प.1(4)सै.क./2019 जयपुर, दिनांक 19.02.2019

:: आज्ञा ::

दिनांक 14.02.2019 एवं इसके पश्चात सैनिक बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों/स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों के कल्याणार्थ जारी पूर्व में प्रसारित समस्त आदेश/दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार सहायता दिये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

अ– शहीद सैनिकों हेतु

शहीद की धर्मपत्नि को लाभ	पच्चीस लाख रूपये (जिसमें से तत्काल सहायता पांच लाख रूपये नकद) और 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि.फेज II) या पच्चीस लाख रूपये (जिसमें से तत्काल सहायता पांच लाख रूपये नकद) और हाऊसिंग बोर्ड का एम.आई.जी.मकान या पचास लाख रूपये नकद (जिसमें से तत्काल सहायता पांच लाख रूपये नकद)
माता–पिता को लाभ	अल्प बचत योजना की मासिक आय योजना में माता–पिता के नाम से 03.00 लाख रूपये की सावधि जमा।
नियोजन	शहीद की धर्मपत्नि या उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को लेवल–10 तक के पदो पर नौकरी योग्य होने तक शहीद की धर्मपत्नि द्वारा यह अधिकार सुरक्षित रखा जा सकता है।
शिक्षा	राजकीय विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, इंजिनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा। विद्यालय जाने वाले बच्चे प्रतिवर्ष 1800 रूपये छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। कालेज, तकनीकी, मेडिकल, इंजिनियरिंग शिक्षा के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 3600 रूपये होगी। यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जावेगी।
शहीद का सम्मान	एक विद्यालय/ औषधालय/चिकित्सालय/ पंचायत भवन/मार्ग/पार्क/ अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद सैनिक के नाम से किया जावेगा।
अन्य सुविधाएं	DISCOM द्वारा किसी भी कृषि भूमि, जो कि शहीद के परिवार के सदस्य के नाम से हो, के लिए तत्काल प्राथमिकता (आउट आफ टर्न) एक विद्युत कनेक्शन दिया जा सकेगा। रा.रा.प.प.नि. द्वारा शहीद की धर्मपत्नि एवं उसके आश्रित बच्चों व माता–पिता को डिलक्स एवं साधारण बस के लिए निःशुल्क रोडवेज पास जारी किया जावेगा।

ब–स्थाई विकलांग सैनिकों हेतु

स्थाई युद्व विकलांग सैनिकों के लिए	5 लाख रूपये नकद और 25 बीघा भूमि(इ.गा.न.परि.फेज II में). या 30 लाख रूपये नकद
नियोजन	स्थाई युद्व विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र/पुत्री को लेवल–10 तक नियोजन दिये जाने का प्रावधान

तत्काल नकद सहायता राशि के अतिरिक्त देय समस्त लाभ सशस्त्र सेना मुख्यालय द्वारा बैटल कैज्युअलिटी/स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र अथवा पैरा मिलिट्री फोर्सेज (सी.पी.ओ.) द्वारा ऑपरेशनल कैज्युअलिटी/स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर देय होंगे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 131900038 दिनांक 19.02.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

उक्त आदेश दिनांक 14.02.2019 से प्रभावी होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

(हेमन दास रामचन्दानी)
शासन वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सैनिक कल्याण विभाग।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण विभाग।
5. शासन वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सैनिक कल्याण विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
8. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार कोली)
अनुभागाधिकारी